संख्या–2066/33–3–2020–42/2020

– J.DC/D.D (Panchayat)
– All D.Ms, SRE, Dir

कृ० दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
(2) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर, 2020

आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर 24/9/20

विषय–ग्राम पंचायत के पंचायत भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भूमिगत जल के दोहन एवं उपलब्ध जल के पर्याप्त प्रबंधन के अभाव के कारण सम्पूर्ण विश्व पेयजल की समस्या से प्रभावित है। उस समस्या से अपना देश एवं उत्तर प्रदेश भी गम्भीर रूप से प्रभावित है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण पेयजल के स्रोत लगातार कम होते जा रहे है एवं जनसंख्या के बढ़ते दबाव एवं आवसीय आवश्यकताओ हेतु आवासीय आबादी की वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र निरन्तर घटता जा रहा है, जिसके द्वारा भूमिगत जलस्तर में स्वभाविक वृद्धि हो जाती है। ऐसे समय में आवश्यकता है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त वर्षा जल के संचयन के साथ भूजल संसाधनों के संवर्द्धन की दिशा में विशेष प्रयास आरम्भ किए जाए। उल्लेखनीय है कि भूजल एवं सतही जल के लिए वर्षा का जल एक मुख्य स्रोत है एवं वर्षा जल के प्रबंधन से विपरीत परिस्थितियो मे जल संकट वाले क्षेत्रों मे [illegible] साफ–सफाई तथा पशुओ के लिए न सिर्फ जल का उपयोग किया जा सकता है अपितु अतिरिक्त जल को भूमि मे प्रवाहित कर जलस्तर को संवर्द्धित भी किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश की ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन/सामुदायिक भवनो मे वर्षा जल संचयन कर जल संरक्षण किया जाना एक क्रान्तिकारी प्रयास होगा। इस सम्बंध मे मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा भी पत्र स० क्रमशः ज्येष्ठ 20, शक संवत, 1941, दिनांक 10 जून, 2019 द्वारा भी ग्राम पंचायतों मे वर्षाजल संवर्द्धन एवं संचयन की तकनीक को अपनाए जाने का आह्वन किया गया है।

8825/R
30/9/2020

उप निदेशक (पंचायत)
सहारनपुर मण्डल,
सहारनपुर
30.09.2020

उक्तानुसार किए गए प्रयासों से यदि किसी क्षेत्र मे वार्षिक वर्षा 800 मिमी होती है तो 125 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाली छत से लगभग 100000 लीटर जल प्राप्त किया जा सकता है। यदि भवन की छत का क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर है और वार्षिक वर्षा 800 मिमी है तो इस दशा मे हम 80000 लीटर जल संचयन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन मे उक्त प्रणाली के क्रियान्वयन से वर्ष में लगभग 470 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है। जो प्रदेश के लिये भूजल संचयन की दिशा मे अत्यन्त क्रांतिकारी कदम होगा।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतो के पंचायत भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का क्रियान्वयन निम्नवत् किया जाये:–

क– पंचायत भवन मे वर्षा जल संचयन तकनीक अपनाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें–

1– पंचायत भवन के छत से आने वाले जल को रेनटैप फिल्टर की सहायता से ही भंडारण टंकी मे भरा जाये।

2– वर्षा ऋतु के आने से पूर्व ही छत की साफ–सफाई कर ली जाये।

1830/R-1

Amit Sri.

3— **पंचायत भवन की छत से वर्षा जल को लाने हेतु लगे पाइप के प्रवेश मार्ग पर जाली लगाना होगा** जिससे पत्तियां एवं अन्य दीर्घ कण जल के साथ पाइप में प्रवाहित न हो सके। रेनटेप फिल्टर में First Flush तथा सुरक्षा सुविधा (Safty Feature) होने के कारण छत पर जल भराव को रोका जा सकता है। अतः इस तरह के फिल्टर का प्रयोग किया जाये।

4— पुनर्भरण संरचना के इनलेट पाइप को भूस्तर से 30सेमी नीचे रखना चाहिए जिससे पाइप क्षतिग्रस्त होने से बच सके एवं प्रचंड वर्षा में जल का बहाव सुचारू रूप से हो सके।

5— भूजल पुनर्भरण संरचना हेतु आवश्यक गडढे/कुएं की दीवार का निर्माण करने के लिए पूर्वनिर्मित सीमेंट के रिंग या ईटों का प्रयोग करके पक्के कुएं का निर्माण करें जिससे कुआ मिट्टी से बन्द न हो।

6— यदि वर्षा जल संचयन करने वाले भवन में पर्याप्त स्थान नहीं हो तो हम यथास्थिति आवश्यकतानुसार उसके व्यास और गहराई में बदलाव करके भी गढडे/कुएं का निर्माण कर सकते है।

7— गोलाकार कंकरीट सीमेन्ट का ढक्कन बनाकर गड्ढे/कुएं को ढका जाये, जिसे नियमित रूप से आवश्यकतानुसार साफ–सफाई किये जाने हेतु खोला जा सके।

8— जिस स्थान पर रेत अधिक हो तथा जल का रिसाव सुचारू रूप से न हो तो ऐसे स्थान पर गहरे बोरवेल का प्रयोग वर्षा जल संचयन के लिए करना चाहिए।

9— ग्राम पंचायतों में कृत्रिम जल संचयन संरचनाओं की स्थापना उस क्षेत्र के नियमानुसार करें।

ख— पंचायत भवन में चरणबद्ध तरीके से वर्षाजल संचयन की स्थापना—

1— छत से वर्षा जल लाने वाले पाइप के प्रवेश द्वार पर एक जाली लगाए।

2— जितने भी पाइप वर्षा जल को छत से नीचे ला रहे हैं उन सभी को भवन के पीछे वाले भाग में एक स्थान पर जोड दे।

3— रेनटेप फिल्टर को दीवार पर लगाये जैसे–संलग्नक–1 मे दर्शाया गया है।

4— फिल्टर के निकास द्वार को एच.डी.पी.ई. टंकी के स्तर के समान स्तर पर हो अथवा उससे उच्च स्तर पर रखें।

5— भवन के पीछे बने सीमेन्ट के चबूतरे (टंकी की माप के अनुसार) पर एच.डी.पी.ई. टंकी को रखें।

6— टंकी (एच.डी.पी.ई.) को ओवरफ्लो पाइप लाइन जल संचयन कुएं से जोडे।

7— जल संचयन कुएं को संलग्नक–2 के अनुसार बनाए।

ग— वर्षा जल संचयन का सामान्य रखरखाव—

1— छत की साफ–सफाई रखे, जिससे स्वच्छ वर्षा जल प्राप्त हो सके।

2— वर्षा जल संचयन में रसायनिक तत्व/गंदे पानी/अन्य तरल पदार्थों आदि को जाने से बचाए।

3— सडक, फुटपाथ, बगीचे के क्षेत्र और अन्य खुली जगह से आने वाले पानी को जल के सचयन हेतु बनाये गये कुएं में मिलने से रोकने का उपाय करे।

4— छत के उच्चतम बिन्दु से वर्षा जल के भंडारण टैंक तक मामूली ढलान रखे जिससे कि पानी पाइप में रूके नही।

5— फिल्टर को वर्षा ऋतु में समय–समय पर दिए गए निर्देशानुसार साफ करे।

6— **वर्षा जल संचयन कुएं का निर्माण इस प्रकार करे कि सूर्य का सीधा प्रकाश कुएं में ना जाए।**

7— सिंचाई, साफ–सफाई के अतिरिक्त वर्षा जल के उपयोग से पूर्व जल का परीक्षण अवश्य करा ले कि यह जल पेयजल के रूप में प्रयोग किये जाने योग्य है अथवा नहीं।

Amit Sri.

घ– **वर्षा जल संचयन प्रणाली पर आने वाला अनुमानित व्यय एवं मद का निर्धारण–** एक मॉडल वर्षा जल सचयन की तकनीक को लागू किए जाने मे धनराशि रू0 28,619/– प्रति इकाई लागत का व्यय सम्भावित है। जिसका विवरण संलग्नक–1 में उपलब्ध है। तकनीकी निर्माण में आने व्यय का वहन ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग अथवा पंचायतों को अपने स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जाएगा, जोकि उनकी वार्षिक कार्ययोजना का भाग होगा। किसी भी प्रकार का व्यय योजना में सम्मिलित कराकर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अकित किए बिना किया जाना वित्त अनियमितता की श्रेणी में आएगा।

ङ– **अनुश्रवण एवं रखरखाव हेतु दायित्व निर्धारण–** तकनीक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत होगी। ए.डी.ओ.(पं0) एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा समय–समय पर भ्रमण कर कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी एवं प्रगति को एम.पी.आर. पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित तकनीक की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी एवं वह तकनीक को क्षति ग्रस्त करने वालों के विरूद्व अर्थदंड के लिए भी नियमानुसार स्वतन्त्र होगी। सफाईकर्मी द्वारा वर्षा से पूर्व एवं समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार सफाई कार्य किया जाएगा।

उक्त रूप से तकनीक में प्रयुक्त सुझाव जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत संस्था के कुशल मार्ग निर्देशन में तैयार किये गए है, जिसका कान्सेप्ट नोट संलग्नक–3 पर उपलब्ध है।

अतः उक्तानुसार जल सरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3– आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
5– निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0।
6– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

Amit Sri.